



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।  
पत्रांक 983 / 12-1 दिनांक, मसूरी / 6 -09-2016।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
प्रखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, की पत्र सं० 908 / X-4-16-1(286) / 2016, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, दिनांक 05, सितम्बर 2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में शासन स्तर से कतिपय बिन्दुओं पर आनलाईन ई०डी०एस० क्वेरी चाही गयी है। कृपया सन्दर्भित पत्र में बिन्दु सं० 2 व 3 का निराकरण करते हुए वांछित सूचना / अभिलेख मय संगत दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन करते हुए उक्त दस्तावेजों की हार्ड प्रति इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० साकेत बडोला भा.व.से.)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 983 / ( ) तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

(डा० साकेत बडोला भा.व.से.)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर,  
फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: ०९ सितम्बर, 2016


विषय:- जनपद देहरादून में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के कि०मी० 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.889 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-403/एफ.पी./यू.के./रोड/19607/2016 दिनांक 30.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद देहरादून में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के कि०मी० 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.889 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।


2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।
2. उक्त मामले से कितने गाँव एवं कितनी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।
3. मामले के संबंध में जिलाधिकारी की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,  
  
(अखिलेश मिश्रा)  
अनु सचिव।

संख्या: ३०८ (1) / X-4-16 / 1(286) / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-अधिशायी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अखिलेश मिश्रा)  
अनु सचिव।

b1c